

श्याम सुन्दर बनाम श्रीमती रतनी वगैरह

12.1.21

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 03, 07. उपस्थित।
उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक
27.06.2017 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत
प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा उनके समक्ष
विचाराधीन वाद पत्र संख्या 147/2007(2007/00078) का निस्तारण दिनांक
06.02.2020 को हो चुका है जिसकी अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जा चुकी
है। चूंकि यह अपील 225 राज.काश्तकारी अधिनियम की है जो सारहीन हो चुकी
है।

अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर